न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 163/2022 **दायर दिनांकः 12/12/2022**

उनवान

1. किशन गोपाल आयु 65 वर्ष पुत्र माधोलाल जाति धाकड निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. कैला बाई आयु 50 वर्ष पत्नि देवकिशन पुत्री बलराम जाति धाकड निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. भूली बाई आयु 47 वर्ष पत्नि धुलीलाल पुत्र बलराम जाति धाकड निवासी हाल मुकाम डाबडिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।
4. तौलाराम आयु 33 वर्ष पुत्र बलराम जाति धाकड निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. लक्ष्मी आयु 15 वर्ष पुत्री प्रेमबाई नाबालिग जर्ये वली पिता प्रेमनारायण जाति धाकड निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. नरेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां
2. भूपेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन
3. मंगीलाल पुत्र जानकीलाल जाति महाजन
4. मेहनलाल पुत्र जानकीलाल जाति महाजन
5. राधाकिशन पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन
6. गिर्राज कुमारी पुत्री जानकीलाल जाति महाजन
7. रघुनाथ प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन
8. विष्णु कुमार पुत्र जानकीलाल जाति महाजन निवासीगण आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 आर0टी0एक्ट0
सहपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री गौरव सिंह हाडा

निर्णय दिनाकः /02/2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादीगण उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 आर टी एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल लक्ष्मीपुरा तहसील अटरू में मुताबिक जमाबंदी संवत 2071–2074 के अनुसार खाता संख्या 79 का ख0नं0 130 का रकबा 0.53 है0, ख0नं0 131 का रकबा 0.83 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.36 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। इसी प्रकार ग्राम एवं माल काचरा में खाता संख्या 181 का ख0नं0 336 का रकबा 0.57 है0, ख0नं0 576 का रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 का रकबा 0.77 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। वादीगण का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है–

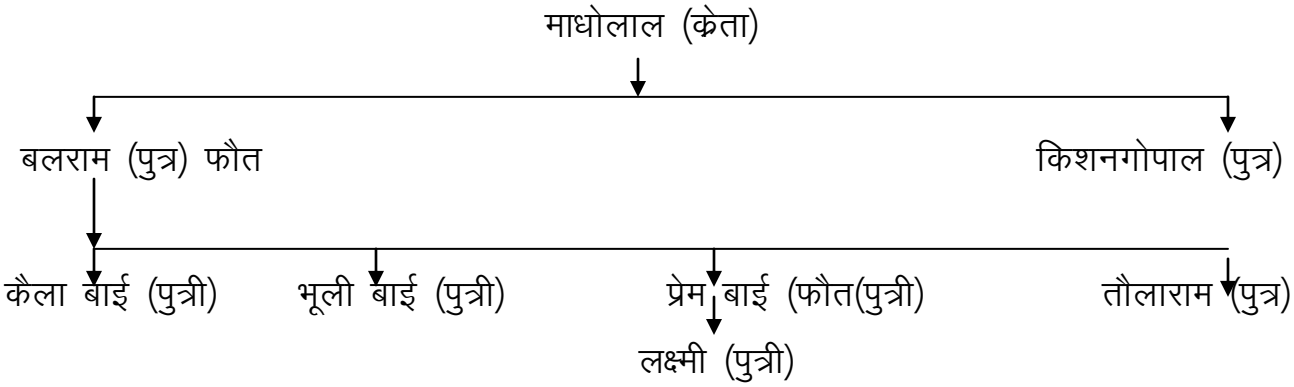

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूम संयुक्त खाते की भूमि है। प्रतिवादी क्रम 3 व 4 तथा प्रतिवादी क्रम 5 व 7 ने ग्राम व माल लक्ष्मीपुरा में स्थित ख0नं0 471 का रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा कंकड वाला का बेचान दिनांक 02.07.1957 को 900/– रूपये में माधोलाल पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड निवासी काचरा को जर्ये रजिस्ट्री बेचान कर कब्जा संभला दिया था तब से वादीगण व उसके भाई बलराम का कब्जा चला आ रहा था तथा बलराम के फौत होने के बाद से उसके

वारीसान वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। नकल रजिस्ट्री सत्यापित प्रतिलिपी वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 4 व 5 ने वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित ग्राम व माल काचरा की वर्तमान खाता संख्या 181 का ख0नं0 336 का रकबा 0.57 है0 भूमि तत्समय ख0नं0 199 का रकबा 3 बीघा का बेचान दिनांक 08.06.1982 को 3,000/– रूपये में बलराम व किशनगोपाल पुत्रान माधोलाल जातियान धाकड निवासीगण काचरा को जर्ये रजिस्ट्री बेचान कर कब्जा संभला दिया था तब से वादीगण व उसके भाई बलराम का कब्जा चला आ रहा था तथा बलराम के फौत होने के बाद से उसके वारिसान वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। नकल रजिस्ट्री सत्यापित प्रतिलिपी वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। क्रेता माधोलाल व बलराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा क्रय की गई आराजी पर वर्तमान में बलराम के वारिसान व किशनगोपाल का कब्जा बदस्तूर निर्बाध रूप से चला आ रहा है। जिस पर वादीगण विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता के वारिसान होने से खातेदार कृषक घोषित होने के अधिकारी है। क्रय शुदा आराजी के नामान्तरण के लिए क्रेता माधोलाल पुत्र बिरधीलाल द्वारा तहसील अटरू में आवेदन किया था जिस पर तहसीलदार अटरू ने दिनांक 03.06.1986 को क्रय की गई आराजी 10 बीघा 4 बिस्वा को माधोलाल के पक्ष में दर्ज कर इंतकाल खोलने के आदेश जारी किये थे परन्तु राजस्व कर्मचारीगणों की लापरवाही व गफलतपूर्ण कार्य से क्रेता माधोलाल पुत्र बिरधीलाल का नाम जमाबंदी में दज्र नहीं हो सकां जबकि आज दिन तक आराजी पर कब्जा माधोलाल के वारिसान का चला आ रहा है। नकल नामान्तरण पंजिका की सत्यापित प्रतिलिपी दिनांक 07.10.2022 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी क्रम 9 बनाया गया है। मामला आवश्यक प्रकृति का होने से राजस्थान सरकार को धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेषित किया जाना आज्ञापक है लेकिन नोटिस की अवधि समाप्ति का इंतजार किया गया तो प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 भूमि को रहन बेचान कर देंगें जिससे वादीगण को अनेकानेक विवादों में उलझना पडेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी। इसलिए मामला आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80 (2) सीपीसी का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की इजाजत से वाद पेश है। वाद कारण दिनांक 07.06.2022 को नकले प्राप्त होने पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 से वादीगण द्वारा अपने पक्ष में नामान्तरण दर्ज करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 द्वारा भूमि को रहन बेचान करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र काचरा में बमुकाम उत्पन्न

हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम/माल काचरा व लक्ष्मीपुरा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जाए–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में क्रेता माधोलाल व बलराम के वारिसान वादीगण के पक्ष में क्रय की गई आराजी माल लक्ष्मीपुरा की 10 बीघा 4 बिस्वा तथा माल काचरा की 3 बीघा आराजी जिनके वर्तमान खाता संख्या 79 का ख0नं0 130 का रकबा 0.53 है0, ख0नं0 131 का रकबा 0.83 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.36 है0 माल लक्ष्मीपुरा तथा खाता संख्या 181 का ख0नं0 336 का रकबा 0.57 है0, ख0नं0 576 का रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 का रकबा 0.77 है0 माल काचरा पर वादीगण के पक्ष में नामान्तरण दर्ज कर प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 के स्थान पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

(ब) प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाए की वह वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी भूमि को कहीं रहन बेचान नहीं करें और न ही किसी प्रकार का अन्तरण करें।

(स) वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। सम्मन इस टिप्पणी के साथ कि प्रतिवादीगण बाहर रहते है– अदम तामील में प्राप्त हुए। नये पते के साथ प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजि0 पोस्ट की गई। प्रतिवादीगण 1, 2 व 9 की तलबी होने के बावजूद भी न्यायालय में अनुपस्थित रहे। फिर भी न्यायहित में जवाब पेश करने का अवसर दिया गया। प्रतिवादीगण 3 ता 8 की रजिस्टर्ड स्पीट पोस्ट पुनः अदम तामील में वापिस

लौटी अतः प्रतिवादी क्रम 3 ता 8 की तलबी जर्ये अखबार साया कराई गई। बावजूद सूचना प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3. साक्ष्यवादी क तहत pw1 से pw5 के शपथ पत्र पेश किये तथा सशपथ गवाह बयान दर्ज किये गये। साक्ष्यवादी pw1 तोलाराम पुत्र बलराम जाति धाकड निवासी काचरा ने सशपथ बयान पेश किये कि ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील अटरू की आराजी हाल खाता संख्या 79 का ख0नं0 130 का रकबा 0.53 है0, ख0नं0 131 का रकबा 0.83 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.36 है0 भूमि तथा ग्राम एवं माल काचरा में हाल खाता संख्या 181 का ख0नं0 336 का रकबा 0.57 है0, ख0नं0 576 का रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 का रकबा 0.77 है0 भूमि प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है। लेकिन सेटलमेन्ट से खातेदार मोहनलाल, मांगीलाल पुत्रान जानकीलाल, राधाकिशन व रघुनाथ पुत्रान कन्हैयालाल जाति महाजन निवासी आटोन ने ग्राम लक्ष्मीपुरा की उक्त आराजी साबिक ख0नं0 471 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 02.07.1957 को प्रतिफल राशि 900 रूपये में हमारे पूर्वज माधोलाल पुत्र बिरधीलाल धाकड को बेचान कर कब्जा संभला दिया था और तभी से पहले माधोलाल बाद में हम वादीगण लगातार कब्जे काश्त चले आ रहे है। इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 4 व 5 मोहनलाल पुत्र जानकीलाल व राधाकिशन पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन निवासी आटोन ने काचरा की उक्त विवादित आराजी साबिक ख0नं0 199 रकबा 3 बीघा जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 08.06.1982 प्रतिफल राशि 3000/– रू में हमारे पिता बलराम तथा हमारे पिता के भाई किशनगोपाल को बेचान कर कब्जा संभला दिया था तभी से हम वादीगण लगातार कब्जे काश्त में चले आ रहे है। खरीदशुदा आराजी के नामान्तरण के लिए क्रेता माधोलाल ने तहसील अटरू में आवेदन प्रस्तुत किया था लेकिन तहसील अटरू के कार्मिकों की लापरवाही की वजह से नामान्तरण नहीं खुल पाया था। अतः ग्राम लक्ष्मीपुरा व ग्राम काचरा की उक्त विवादित आराजी पर हम वादीगण को वाद पत्र में वर्णित सजरे अनुसार रजि0 विक्रय पत्र व प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

साक्ष्यवादी पी.डब्ल्यु 2 बृजमोहन पुत्र गोगाजी जाति धाकड निवासी काचरा ने सशपथ कथन किया कि ग्राम व माल लक्ष्मीपुरा की आराजी वर्तमान खाता संख्या 79 किता 2 का रकबा 1.36 है0 मैने देख रखी है जिसको खातदेारान मोहनलाल, मांगीलाल पुत्रान जानकीलाल,

राधाकिशन व रघुनाथ पुत्रान कन्हैयालाल जाति महाजन निवासी आटोन ने माधोलाल पुत्र बिरधीलाल धाकड निवासी काचारा को लगभग 65 वर्ष पुर्व बेचान कर दी थी और तभी से माधोलाल काश्त करता चला आ रहा था उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान बलराम व किशनगोपाल काश्त करते चले आ रहे थे। बलराम की मृत्यु के बाद उसके वारीसान काश्त कर रहे है। ग्राम काचरा की खाता संख्या 181 किता 2 का रकबा 0.77 है0 आराजी को मोहनलाल पुत्र जानकीलाल व राधाकिशन पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन निवासी आटोन ने लगभग 28 वर्ष पूर्व बलराम, किशनगोपाल पुत्र माधोलाल को बेचान करके कब्जा संभला दिया था जिस पर उनके वारिसान काश्त कर रहे है। जिसकी मुझे पूर्ण जानकारी है।

साक्ष्यवादी पी.डब्ल्यु 3 शिवप्रसाद पुत्र गुडकीलाल जाति धाकड निवासी काचरा ने सशपथ बयान किये कि मैं किशनगोपाल व तौलाराम वगै0 को जानता हूॅ। ये मेरे गांव के रहने वाले है। मेरी जमीन और इनकी जमीन पास पास है। मेरे खेत के पास इनकी लगभग 10 बीघा जमीन है जिसको मैने जब से होश संभला है तभी से वादीगण को काश्त करते देखा है। माल काचरा की लगभग 4 बीघा जमीन भी किशनगोपाल, तौलाराम ही कब्जा काश्त करते है जो गांव के पास ही है जिसको भी वादीगण ही काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित होगा।

साक्ष्यवादी पी.डब्ल्यू 4 देवकिशन पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड निवासी काचरा ने सशपथ बयान किये कि माल लक्ष्मीपुरा की लगभग 10 बीघा जमीन को मैने होश संभाला है तब से किशनगोपाल, तौलाराम वगै0 को काश्त करते हुए देखा है। यह लगभग 50 साल से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है तथा माल काचरा की लगभग तीन बीघा जमीन इन्होने आटोन के महाजन से खरीद की थी जिसकी मुझे जानकारी है। और यह लगभग 40 वर्षों से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है।

साक्ष्यवादी पी.डब्ल्यू 5 विनोद कुमार पुत्र पानाचन्द जाति धाकड निवासी काचरा ने सशपथ बयान किये कि मैं किशनगोपाल, तौलाराम वगै0 को जानता हूॅ। मैने इनकी जमीन माल लक्ष्मीपुरा में लगभग 10 बीघा है तथा माल काचरा में लगभग 3–4 बीघा है। मैने किशन गोपाल, तौलाराम वगै0 से इस जमीन को काश्त करते देखा है। मैने होश संभाला तब से ही यही काश्त कर रहे है।

4. अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि तत्कालीन ग्राम अटरू की आराजी साबिक ख0नं0 471 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा को खातेदार रघूनाथ प्रसाद व राधाकिशन पिसरान कन्हैयालाल तथा मांगीलाल व मोहनलाल पिसरान जानकीलाल जाति महाजन निवासी आटोन तहसील अटरू जिला कोटा से जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 02.07.1957 प्रदर्श पी 3 से 900 रू की प्रतिफल राशि अदा कर माधोलाल पुत्र बिरधीलाल कोम धाकड द्वारा क्रय किया गया था। ग्राम अटरू की जमाबंदी संवत 2038–41 प्रदर्श पी 11 में भी तात्कालिन राजस्व विभाग के कार्मिक द्वारा उक्त विक्रय का अंकन किया गया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अभियान मुकाम अटरू में तहसीलदार अटरू द्वारा क्रेता माधोलाल पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड के पक्ष में नामान्तरण संख्या 734 दिनांक 03.06.1986 तस्दीक किया गया था और उक्त नामान्तरण के आधार पर क्रेता माधोलाल पुत्र बिरधीलाल कोम धाकड खातेदार दर्ज किया गया लेकिन इसी दौरान भू0 प्रबंध विभाग का सर्वे एवं ऑपरेशन का कार्य चल रहा था और भू प्रबंध विभाग के कार्मिकों ने बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के रिकोर्डेड खातेदार क्रेता माधोलाल पुत्र बिरधीलाल धाकड का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा कर पुनः विक्रेता का नाम अंकित कर दिया था। राजस्व रिकार्ड में ऐसे अवैध एवं विधिविरूद्ध कृत्य की भू प्रबंध विभाग के कार्मिकों को कोई अधिकार नहीं था। इसी प्रकार ग्राम काचरा की आराजी साबिक ख0नं0 199 रकबा 3 बीघा को बलराम व किशनगोपाल पुत्रान माधोलाल जाति धाकड निवासी काचरा द्वारा जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 08.06.1982 को 3000 रू की प्रतिफल राशि अदा कर खातेदार राधाकिशन पुत्र कन्हैयालाल एवं मोहनलाल पुत्र जानकीलाल महाजन निवासी आटोन जिला कोटा से क्रय किया था। इस दौरान भी भू0 प्रबंध विभाग का सर्वे एवं ऑपरेशन का कार्य चल रहा था और भू प्रबंध विभाग के कार्मिकों ने बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के रिकोर्डेड खातेदार क्रेता माधोलाल पुत्र बिरधीलाल धाकड का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा कर पुनः विक्रेता का नाम अंकित कर दिया था। राजस्व रिकार्ड में ऐसे अवैध एवं विधिविरूद्ध कृत्य की भू प्रबंध विभाग के कार्मिकों को कोई अधिकार नहीं था। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे कथन किया गया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा के भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक ख0नं0 471 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा के नवीन ख0नं0 130 रकबा 0.53 है0 एवं ख0नं0 136 रकबा 0.83 है0 बनाये गये है। इसी प्रकार ग्राम काचरा के साबिक ख0नं0 199 रकबा 3 बीघा के नवीन ख0नं0 336 रकबा 0.57 है0 बनाया गया है।

अभिभाषक वादीगण द्वारा पुनः तर्क किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि जमाबंदी या राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित होने मात्र से किसी संपत्ति का स्वामित्व साबित नहीं होता है। अगर राजस्व विभाग द्वारा किसी व्यक्ति का नाम जमाबंदी में त्रुटिवश या विधिविरूद्ध तरीके से दर्ज कर दिया जाये और भूमि का वास्तविक स्वामित्व व कब्जा किसी अन्य व्यक्ति के पास है तो ऐसी विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में नाम मात्र के अंकन से वह व्यक्ति /खातेदार स्वामि नहीं बन जाता है। भू प्रंबध विभाग के कार्मिकों द्वारा बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के क्रेता/वादीगण के पूर्वज का नाम हटाकर विक्रेता/प्रतिवादीगण का नाम दर्ज करने को धारा 123 से 136 एल0आर0एक्ट0 के अधीन संशोधित कर धारा 88, 89 के अधीन खातेदार कृषक घोषित करने का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार है। अभिभाषक वादीगण द्वारा पुनः बहस की गई कि ग्राम लक्ष्मीपुरा एवं ग्राम काचरा की उक्त विवादित आराजी पर रजि0 विक्रय पत्र के साथ साथ वादीगण द्वारा विगत 50–60 वर्षों से चले आ रहे शांतीपूर्ण व निरन्तर कब्जा काश्त के आधार पर धारा 63(1)(iv) आर0टी0एक्ट0 के अधीन विक्रेता खातेदारों के खातेदारी अधिकार समाप्त होकर क्रेता/वादीगण के खातेदारी अधिकार सृजित हो चुके है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने बेचान की गई उक्त भूमि पर पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए कभी भी किसी भी सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी के समक्ष कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की है अर्थात विक्रेता ने विक्रय के साथ कब्जा सौंपने के बाद कभी भी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की है। विक्रेतागण/प्रतिवादीगण का अपनी बेचान की गई उक्त भूमि पर पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा वर्षों पूर्व समाप्त हो जाने से उस भूमि से प्रतिवादीगण के अधिकार/स्वामित्व समाप्त हो गया है। अतः भू0 प्रबंध विभाग के कार्मिकों द्वारा ग्राम लक्ष्मीपुरा व काचरा की उक्त विवादित आराजी के संबंध में की गई त्रुटि को दुरूस्त कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

5. अभिभाषक वादीगण ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

- The commissioner Bruhath Bangalore Mahanagara palike & anr. Vs Faraulla khan & anr. SC.

- Sita Ram Bhau Patil Vs Ramchandra Nago Patil (DEAD) by L. Rs. &anr SC.
- Jitendra singh Vs The State of Madhya Pradesh 2021 SC.
- Balwant Singh &anr. Vs Daulat Singh (Dead) by L.RS. SC
- Ravindra kaur grewal Vs manjit kaur SC 2019

6. अभिभाषक वादीगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम लक्ष्मीपुरा की हाल जमाबंदी संवत 2071–74 प्रदर्श पी1 के अनुसार हाल खाता संख्या 79 ख0नं0 130 रकबा 0.53 है0 व ख0नं0 131 रकबा 0.83 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.36 है0 प्रतिवादी क्रम 3 ता 8 के खाते दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा पेश रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 02.07. 1957 प्रदर्श पी 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तात्कालिन ग्राम अटरू हाल ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजी सम्पूर्ण साबिक ख0नं0 471 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा का बेचान तात्कालिन खातेदारान मोहनलाल, मांगीलाल पुत्रान जानकीलाल, राधाकिशन व रघुनाथ पुत्रान कन्हैयालाल जाति महाजन निवासी आटोन आदि ने क्रेता माधो पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड को कर कब्जा सौप दिया था । वादीगण द्वारा पेश ग्राम अटरू की नामान्तरण पंजिका प्रदर्श पी 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तात्कालिन ग्राम अटरू की आराजी ख0नं0 471 की राजस्व अभियान मुकाम अटरू दिनांक 03.06. 1986 में उक्त विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता माधोलाल पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड निवासी काचरा के पक्ष में नामान्तरण संख्या 734 दिनांक 03.06.1986 तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीक कर क्रेता माधोलाल के खाते दर्ज की गई थी। वादी द्वारा पेश ग्राम अटरू की जमाबंदी संवत 2038–41 प्रदर्श पी 11 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि जरिये नामान्तरण संख्या 734 विवादित आराजी साबिक ख0नं0 471 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा की जगह क्रेता माधोलाल की खातेदारी दर्ज हो चुकी थी। भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी 8 के अनुसार ग्राम लक्ष्मीपुरा/तात्कालिन ग्राम अटरू के साबिक ख0नं0 471 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा के नया ख0नं0 130 रकबा 0.53 है0 व ख0नं0 131 रकबा 0.83 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.36 है0 बनया गया । यह तथ्य साबित है कि तहसील अटरू में भू. प्रबंध विभाग द्वारा वर्ष 1983–84 से 1988–89 तक सर्वे एवं रिकार्ड ऑपरेशन का कार्य किया था जिसके आधार पर वर्ष 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 तक रिकार्ड तैयार किया गया है

और यह तथ्य भी साबित है कि क्रेता माधोलाल पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड ने जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 02.07.1957 विवादित आराजी को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था और इसी अनुरूप तहसीलदार अटरू द्वारा क्रेता के पक्ष में नामान्तरण संख्या 734 दिनांक 03.08.1986 तस्दीक कर खातेदार दर्ज कर दिया था। जब क्रेता माधोलाल पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड को विधि अनुरूप विवादित आराजी पर तहसीलदार अटरू द्वारा खातेदार दर्ज कर दिया था तो फिर भू प्रबंध विभाग के कार्मिकों ने बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विधि विरूद्ध रूप से क्रेता की जगह पुनः विक्रेताओं का नाम किस आधार पर दर्ज किया ? भू प्रबंध विभाग द्वारा की गई यह त्रुटि, प्रथम दृष्टया मानवीय /लिपीकीय त्रुटि प्रतित होती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने अनेक निर्णयों में स्पष्टतः यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि भू प्रबंध विभाग के कार्मिकों को सर्वे एवं रिकार्ड ऑपरेशन के दौरान किसी भी खातेदार के रिकार्ड की मूल प्रविष्टीयों में विधि विरूद्ध बिना सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी के आदेश के परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त प्रकरण में भू प्रबंध विभाग द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये क्रेता खातेदार की मूल प्रविष्टीयों में परिवर्तन कर पुनः विक्रेताओं का नाम दर्ज करना विधिविरूद्ध होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य गवाहों पी.डब्ल्यू 1 से पी डब्ल्यू 5 के सशपथ बयानों के अवलोकन से साबित होता है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजी हाल ख0नं0 130 व 131 कुल किता 2 कुल रकबा 1.36 है0 भूमि पर क्रय के समय से ही पहले क्रेता माधोलाल पुत्र बिरधीलाल धाकड और उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान वादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण की मूल निवास स्थान आटोन (अटरू) पर तलबी के दौरान भी तामील कुलन्दा/ग्राम प्रतिहारी द्वारा यह टिप्पणी की गई है कि प्रतिवादीगण विगत अनेक वर्षों से ग्राम आटोन छोडकर बारां, कोटा व इन्दोर आदि स्थानों पर निवास करते है और कभी भी ग्राम आते जाते नहीं है । इससे भी इस तथ्य को समर्थन मिलता है कि प्रतिवादीगण बेचान और कब्जा संभलाने के बाद विवादित आराजी पर पुनः कभी कब्जा काश्त नहीं रहे है और ना ही ऐसा कोई प्रयास किया है।

इसी प्रकार ग्राम काचरा की हाल जमाबंदी संवत 2074–77 प्रदर्श पी2 के अनुसार हाल खाता संख्या 181 ख0नं0 336 रकबा 0.57 है0 व ख0नं0 576 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 है0 प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के खाते दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा पेश रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1982 प्रदर्श पी 4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदारान राधाकिशन पुत्र

कन्हैयालाल एवं मोहनलाल पुत्र जानकीलाल जाति महाजन निवासी आटोन द्वारा अपने खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम काचरा की आराजी सम्पूर्ण साबिक ख0नं0 199 रकबा 3 बीघा का बेचान क्रेता बलराम पुत्र माधोलाल व किशनगोपाल पुत्र माधोलाल को कर कब्जा सौप दिया था। उक्त रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा क्रेतागण के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक किया जाना चाहिए था लेकिन नामान्तरण तस्दीक नहीं होना प्रतीत होता है। वादीगण का यह तथ्य साबित है कि तहसील अटरू में भू. प्रबंध विभाग द्वारा वर्ष 1983–84 से 1988–89 तक सर्वे एवं रिकार्ड ऑपरेशन का कार्य किया था जिसके आधार पर वर्ष 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 तक रिकार्ड तैयार किया गया है। अर्थात उक्त आराजी के क्रय के कुछ समय बाद तहसील अटरू में भू प्रबंध विभाग द्वारा भूमि का सर्वे एवं रिकार्ड ऑपरेशन कार्य शुरू कर दिया था। भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी 10 के अनुसार ग्राम काचरा के साबिक ख0नं0 199 रकबा 3 बीघा का नया ख0नं0 336 रकबा 0.57 है0 बनया गया। अतः सेटलमेन्ट के बाद नवीन ख0नं0 336 रकबा 0.57 है0 क्रेतागण –बलराम व किशनगोपाल के खाते दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन भू प्रबंध विभाग की मिसल जमाबंदी वर्ष 1989 से 2009 प्रदर्श पी 6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक ख0नं0 199 का नवीन ख0नं0 336 रकबा 0.57 है0 पुनः प्रतिवादीगण के खाते दर्ज कर दिया गया जो कि विधि विरूद्ध है। भू प्रबंध विभाग द्वारा की गई यह त्रुटि, प्रथम दृष्टया मानवीय /लिपीकीय त्रुटि प्रतित होती है। वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य गवाह पी.डब्ल्यू 1 से पी.डब्ल्यू 5 भी प्रतिवादीगण से बलराम व किशनगोपाल पुत्रान माधोलाल द्वारा उक्त आराजी को रजिस्ट्री से क्रय करने और तभी से लगातार शांतीपूर्ण कब्जा काश्त होना समर्थित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन से यह तथ्य भी साबित है कि क्रेता बलराम व किशनगोपाल जाति धाकड ने ग्राम काचरा की उक्त विवादित आराजी को जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1982 सेक्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था और तभी से लगातार शांतीपूर्ण कब्जे काश्त में चले आ रहे है।

7. अभिभाषक वादीगण द्वारा पेश उक्त न्यायिक दृष्टान्तो का अध्ययन व मनन किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट निर्धारित किया है कि नामान्तरण से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने मात्र से किसी व्यक्ति के स्वामित्व/टाईटल प्राप्त नहीं हो जाता है। जमाबंदी एक फिसकल स्टेटमेन्ट मात्र है, भू राजस्व संग्रहण के उद्धेश्य यह दस्तावेज तैयार किया जाता है, जो किसी के स्वामित्व की घोषणा नहीं करती है।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा The commissioner Bruhath Bangalore Mahanagara palike & anr. Vs. Faraulla khan & anr. मामले में अभिनिर्धारित किया है कि ***" Its well settled that mutation entries do not by themselves confer title which has to be established independently in a declaratory suit." (Para 2)***
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Jitendra singh Vs The State of Madhya Pradesh 2021 SC मामले में अभिनिर्धारित किया है कि " ***Right from 1997] the law is very clear. In the case of Balwant Singh v. Daulat Singh (D) By Lrz. Reported in (1997) 7 SCC 137, this Court had an occasion to consider the effect of mutation and it is observed and held that mutation of property in revenue records neither creates nor extinguishes title ot the property nor has it any presumptive value on title. Such entries are relenvant only for the purpose of collection land reveue. Similar view has been expressed in the series of decisions therafter. 6.1 In the case of Suraj Bhan v. Financial Commissioner, &2007) 6 SCC 186, it is observed and held by this Court that an entry in revenue recouds does not confer title on a person whose name appears in record of rights. Entries in the renenue records or jamabandi have only "fiscal purpose", i.e., payment of land revenue, and no ownership is conferred on the basisof such entries. It is further observed that so far as the title of the property is concerned, it can only be decided by a competent cicil court. Similar view has been expressed in the cases of Suman Verma***

***V. Union of India, (2004) 12 SCC 58; Faqruddin V. Tajuddin (2008) 8 SCC 12; Rajinder Singh V. State of J&k, (2008)9 SSC 368; Municipal Corporation, Aurangabad v. State of Maharashtra, (2015) 16 SCC 689; T. Ravi v. B. Chinna Narasimha, (2017)7 SCC 342' Bhimabai Mahadeo Kambkar v. Arthur import & Export Co, (2019)3 SCC 191; Prahlad Pradhan v. Sonu Kumhar, (2019) 10 SCC 259 ; and Ajit Kaur v. Darshan Singh, (2019)13 SCC 70.*" **(para 6)**

8- उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों की तथ्य व परिस्थितियां वादीगण के उक्त केस की तथ्य व परिस्थितियों के लगभग सदृश्य होने से वादीगण के प्रकरण पर चस्पा होते है। क्रेतागण/वादीगण द्वारा ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजी ख0नं0 130 व 131 कुल किता 2 कुल रकबा 1.36 है0 पर जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 02.07.1957, नामान्तरण संख्या 734 दिनांक 03.06. 1986 एवं निरन्तर कब्जा काश्त के आधार पर स्वामित्व/टाईटल प्राप्त हो चुके है। केवल भू प्रबंध विभाग के मानवीय/लिपीकीय त्रुटिवश जमाबंदी में क्रेतागण/वादीगण का नाम नहीं होने मात्र से क्रेतागण/वादीगण के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इसी प्रकार ग्राम काचरा के हाल आराजी ख0नं0 336 रकबा 0.57 है0 पर क्रेतागण/वादीगण द्वारा जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1982 एवं तदूपरान्त निरन्तर कब्जे काश्त के आधार पर स्वामित्व/टाईटल प्राप्त हो चुका है। **अतः क्रेतागण/वादीगण को उक्त विवादित आराजीयात पर धारा 88, 89, 90, 91, 92 आर0टी0एक्ट सहपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 के अधीन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।**

9. वादीगण द्वारा उपरोक्त दोनों रजि0 विक्रय पत्रों से ग्राम लक्ष्मीपुरा व काचरा में क्रय की गई आराजी कुल किता 3 कुल रकबा 1.93 है0 के अतिरिक्त ग्राम काचरा के ख0नं0 576 रकबा 0. 20 है0 पर प्रतिकूल कब्जे के सिद्धान्त के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। यद्यपि वादीगण द्वारा पेश सशपथ वाद पत्र, साक्ष्य गवाह पी.डब्ल्यू 1 से पी.डब्ल्यू 5 के सशपथ बयानों के आधार पर ख0नं0 576 पर वादीगण का विगत 50–60 वर्षों से शान्तीपूर्ण व

निरन्तर कब्जा काश्त प्रथम दृष्टया साबित होता है लेकिन वादीगण द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य या तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट पेश नहीं की है जिसके आधार पर उक्त आराजी पर वादीगण का वर्षों का निरन्तर कब्जा साबित होता हो। धारा 63(1)(iv) आर0टी0एक्ट0 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यदि कोई कब्जाधारी व्यक्ति, किसी खातेदार को उसकी भूमि पर कब्जे से वंचित करता है और उस खातेदार की अपनी भूमि पर पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई हो उस भूमि से खातेदार के अधिकार/स्वामित्व समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार धारा 63(1)(iv) RT Act में प्रतिकूल कब्जे से किसी खातेदार के खातेदारी अधिकारों/हितों/स्वामित्व के निर्वापन (extination) का प्रावधान तो है लेकिन ये अधिकार किसके पक्ष में उत्पन्न (create) होगें, इसका कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। प्रतिकूल कब्जे के सिद्धान्त में भू–धारक खातेदार काश्तकार द्वारा पुनः कब्जा प्राप्त करने की समय सीमा के The limitation 1963 की धारा 27 एवं अर्टीकल 61 से 67 का अवलोकन करना आवश्यक है। अनु0 61 से 67 के अवलोकन से जाहिर है कि राज्य के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जे की समय सीमा 30 वर्ष है अर्थात यदि राज्य किसी अतिक्रमी से 30 वर्षों के अन्दर अपना कब्जा वापिस नहीं लेता है तो उस अचल संपत्ति पर से राज्य का स्वामित्व/अधिकार/टाईटल समाप्त हो जायेगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रविन्द्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजित कौर ग्रेवाल 2019 मामले में अचल सम्पत्ति पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की सिद्धान्त को मान्यता दी है लेकिन इस अचल सम्पत्ति के कृषि भूमि होने की स्थिति में धारा 88 सहपठित धारा 63(1)(iv) आर0टी0एक्ट0 के संबंध में स्पष्टता नहीं है। **इस प्रकरण में वादीगण द्वारा ग्राम काचरा के ख0नं0 576 रकबा 0.20 है0 के प्रतिकूल कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में धारा 88 सहपठित धारा 63(1)(iv) आर0टी0एक्ट0 के अधीन खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है।**

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रविन्द्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर ग्रेवाल 2019 में अभिनिर्धारित किया है कि ***" Possession is the root of title and is right like the property. As ownership is also of different kinds of viz. sole ownership,***

contingent ownership, corporeal ownership, and legal equitable ownership. Limited ownership or limited right to property may be enjoyed by a holder. What can be prescribable against is limited to the rights of the holder. Possession confers enforceable right under Section 6 of the Specific Relief Act. It has to be looked into what kind of possession is enjoyed viz. de facto i.e., actual, 'de jure possession', constructive possession, concurrent possession over a small portion of the property. In case the owner is in symbolic possession, there is no dispossession, there can be formal, exclusive or joint possession. The joint possessor/coowner possession is not presumed to be adverse. Personal law also plays a role to construe nature of possession''(para 56).

> ***" Resultantly, we hold that decisions of Gurudwara Sahab v. Gram Panchayat Village Sirthala (supra) and decision relying on it in State of Uttarakhand v. Mandir Shri Lakshmi Siddh Maharaj (supra) and Dharampal (dead) through LRs v. Punjab Wakf Board (supra) cannot be said to be laying down the law correctly, thus they are hereby overruled. We hold that plea of acquisition of title by adverse possession can be taken by plaintiff under Article 65 of the Limitation Act and there is no bar under the Limitation Act, 1963 to sue on aforesaid basis in case of infringement of any rights of a plaintiff''(para 61).***

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर ग्राम लक्ष्मीपुरा आराजी ख0नं0 130 व 131 कुल किता 2 कुल रकबा 1.36 है0 एवं ग्राम काचरा के ख0नं0 336 व 576 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 है0 के संबंध में वादीगण का वाद न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 व 188 आर0टी0एक्ट0 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम लक्ष्मीपुरा की विवादित आराजी ख0नं0 130 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 131 रकबा 0.83 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.36 है0 प्रतिवादीगण के स्थान पर वादी क्रम 1 किशन गोपाल को 1/2 भाग व वादी क्रम 2 ता 5 को हिस्सा 1/2 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम काचरा के ख0नं0 336 रकबा 0.57 है0 पर प्रतिवादीगण के स्थान पर वादी क्रम 1 किशन गोपाल को 1/2 भाग व वादी क्रम 2 ता 5 को हिस्सा 1/2 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक /02/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 163/2022 **दायर दिनांकः 12/12/2022**

उनवान

1. किशन गोपाल आयु 65 वर्ष पुत्र माधोलाल जाति धाकड निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. कैला बाई आयु 50 वर्ष पत्नि देवकिशन पुत्री बलराम जाति धाकड निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. भूली बाई आयु 47 वर्ष पत्नि धुलीलाल पुत्र बलराम जाति धाकड निवासी हाल मुकाम डाबडिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।
4. तौलाराम आयु 33 वर्ष पुत्र बलराम जाति धाकड निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. लक्ष्मी आयु 15 वर्ष पुत्री प्रेमबाई नाबालिग जर्ये वली पिता प्रेमनारायण जाति धाकड निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. नरेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां
2. भूपेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन
3. मंगीलाल पुत्र जानकीलाल जाति महाजन
4. मेहनलाल पुत्र जानकीलाल जाति महाजन
5. राधाकिशन पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन
6. गिर्राज कुमारी पुत्री जानकीलाल जाति महाजन
7. रघुनाथ प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन
8. विष्णु कुमार पुत्र जानकीलाल जाति महाजन निवासीगण आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री गौरव सिंह हाडा

मिनजानित मुदई रूबरू .....र.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम लक्ष्मीपुरा की विवादित आराजी ख0नं0 130 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 131 रकबा 0.83 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.36 है0 प्रतिवादीगण के स्थान पर वादी क्रम 1 किशन गोपाल को 1/2 भाग व वादी क्रम 2 ता 5 को हिस्सा 1/2 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम काचरा के ख0नं0 336 रकबा 0.57 है0 पर प्रतिवादीगण के

स्थान पर वादी क्रम 1 किशन गोपाल को 1/2 भाग व वादी क्रम 2 ता 5 को हिस्सा 1/2 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....रु..... मुबालिक .....रु..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....रु.....
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....रु..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक /02/2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)